

अल्पकालीन निविदा सूचना

स्थानीय निकायों में कर्मियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश सं0 3088/9-01-2010-203सी/2010 न.वि.अनु.-1 दिनांक 07.12.2010 तथा समय समय पर आदेशों के अनुपालन में आवश्यक नगरीय सेवाओं को उपलब्ध कराने जाने हेतु शासन द्वारा आउट सोर्सिंग ठेका पर श्रमिकों/व्यक्तियों की आपूर्ति हेतु श्रम विभाग सेवाकरदाता, ई.एस.आई. ई.पी.एफ. एवं नगर पंचायत मीरगंज के पंजीकृत ठेकेदारों एवं संस्थाओं से तदनुसार नगर पंचायत मीरगंज को बर्ष 2017-18 हेतु सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति पथ-प्रकाश, ट्रैक्टर/टैम्पू हेतु ड्राईवर लाईनमैन व अन्य कार्य हेतु श्रमिकों/व्यक्तियों के आपूर्ति किये जाने हेतु निविदा आमन्त्रित करती है। निविदा दिनांक 27.04.2017 को समय 12 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत मीरगंज बरेली से कय कर दिनांक 27.04.2017 को समय 02.00 बजे नगर पंचायत मीरगंज में रखे निविदा वाक्स में डाली जा सकती है जो दिनांक 27.04.2017 को समय 4.00 बजे खोली जायेंगी।

शर्तें-

1. निविदा स्वीकृत होने पर अंकन रू0 110/- के स्टाम्प पर शपथ पत्र व 100/- का अनुबन्ध पत्र पर नोटरी द्वारा स्वघोषण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
2. शर्तों तथा डाक द्वारा भेजी गयी निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. समस्त अथवा एक निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी में निहित है।
4. नियमानुसार आयकर व श्रमकर व अन्य की कटौतियां जमा करनी होंगी।
5. निविदा के साथ चरित्र, आयकर, व्यापारकर, हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
6. निविदा स्वीकार होने के पश्चात तीन दिन में समस्त औपचारिकतायें पूरी करनी होंगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्देश दिये जायेंगे उसका परिपालन किया जायेगा।
8. निरीक्षण के दौरान किसी भी क्षेत्र में सफाई मजदूर/कूपचालक एवं अन्य कार्य करता नहीं पाये गये तो उस दिन का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जायेगा और माह में इस प्रकार की पुनरावृत्ति 02 बार से अधिक होती है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. निविदा की धनराशि स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिये, अस्पष्ट लिपि में लिखी गयी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अपने व्यय अनुबन्ध लिखाना होगा।
11. ठेकेदार/फर्म/संस्था का एवं श्रमिकों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
12. निविदा स्वीकृत किये जाने पर फर्म/संस्था/ठेकेदार को अंकन रू0 25000/- (पच्चीस हजार) की जमानत धनराशि एफडीआर अथवा नकद के रूप में जमा करनी होगी जो अधिशारी अधिकारी नगर पंचायत मीरगंज बरेली के नाम बंधक करनी होगी।
13. आपूर्ति किये जा रहे श्रमिकों का ईपीएफ जमा कर वालान प्रत्येक माह की 03 तारीख तक पंचायत को जमा करना होगा।
14. श्रमिकों की आपूर्ति का ठेका दिनांक 31.03.2018 तक वैध होगा।
15. नगर पंचायत को आवश्यकतानुसार श्रमिकों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत करेगी।
16. फर्म द्वारा समस्त दरें सेवा शुल्क एवं आदि करों सहित दी जायेंगी। स्वीकृत दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा सेवाकर आदि के रूप में काटी गयी धनराशि नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर से निर्धारित कोष में जमा करायेगी।

क्रम सं0	विवरण	श्रमिकों की संख्या	निविदा शुल्क
1	सफाई श्रमिक/अन्य कार्य हेतु	07	500.00
2	ट्रैक्टर/टैम्पू ड्राईवर	01	
3	लाईनमैन/बिजली मिस्त्री	02	
4	मुकदमों हेतु पैरोकार	01	
5	कूपचालक	01	
6	कम्प्यूटर आपरेटर (कम्प्यूटर डिप्लोमा सहित)	01	

नोट:- अन्य किसी भी जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुकेश कुमार मिश्र
अधिकांश अधिकारी
नगर पंचायत मीरगंज
बरेली

योगेन्द्र कुमार गुप्ता
अध्यक्ष
नगर पंचायत मीरगंज
बरेली

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिला मजिस्ट्रेट बरेली ।
2. अपर मजिस्ट्रेट (प्र०) बरेली ।
3. उपजिलाधिकारी तहसील मीरगंज बरेली
4. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....बरेली ।
5. एन०आईसी० बरेली को प्रचार प्रसार हेतु ।
6. सम्पादक दैनिक.....समाचार पत्र बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कम से कम स्पेस में प्रकाशन उपरान्त विल दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
7. सम्पादक दैनिक.....समाचार पत्र बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कम से कम स्पेस में प्रकाशन उपरान्त विल दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. पत्रावली में रखने हेतु ।

मुकेश कुमार मिश्र
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत मीरगंज बरेली
नगर पंचायत मीरगंज बरेली

योगेन्द्र कुमार गुप्ता
अध्यक्ष
नगर पंचायत मीरगंज बरेली
नगर पंचायत मीरगंज, बरेली